प्रेस विज्ञप्ति

25.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा,2022 के पेपर लीक मामले में श्रीमती अनिता कुमारी उर्फ अनिता मीना को 24.07.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), *2002* के प्रावधानों के तहत राजस्थान में गिरफ्तार किया है। आरोपी को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 02 दिनों के लिए ईडी हिरासत दी है।

ईडी ने बाबूलाल कटारा, अनिल कुमार मीना उर्फ शेर सिंह मीना और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज/दायर की गई एफआईआर/चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि अनिल कुमार मीणा ने अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर उक्त प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक किया और आपराधिक धन के बदले विभिन्न उम्मीदवारों को इसकी आपूर्ति की। जांच के दौरान, यह पाया गया कि अनीता कुमारी उर्फ अनीता मीना अनिल कुमार मीना की करीबी दोस्त है और अपराध अवधि के दौरान वह नियमित रूप से उसके संपर्क में थी। उन्होंने अपराध की आय (पीओसी) बनाने में अनिल कुमार मीना की सक्रिय रूप से सहायता की और अनिल कुमार मीना से अपराध की बड़ी आय नकद में भी प्राप्त की और उनके नाम पर एक अचल संपत्ति खरीदी।

ईडी ने पहले 05.06.2023 और 13.10.2023 को आरोपी व्यक्तियों के 22 परिसरों पर दो तलाशी ली थी, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज/डिजिटल रिकॉर्ड बरामद हुए थे। इसके अलावा, ईडी ने अनंतिम कुर्की आदेश दिनांक 18.08.2023 के माध्यम से बाबूलाल कटारा, अनिल मीना उर्फ शेर सिंह मीना और अन्य की 3.11 करोड़ रुपये (लगभग) की चल और अचल संपत्तियों को भी अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इसके अलावा ईडी ने इस मामले में पहले 08 आरोपियों बाबूलाल कटारा, अनिल कुमार मीना और भूपेन्द्र सारण, सुरेश कुमार उर्फ सुरेश साव, विजय डामोर, पीराराम, पुखराज और अरुण शर्मा को गिरफ्तार किया था। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जयपुर के समक्ष उपरोक्त गिरफ्तार 08 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत और एक पूरक अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है, जिस पर माननीय न्यायालय पहले ही संज्ञान ले *चुके हैं*।

आगे की जांच जारी है।